

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्र क्र.आर-163/जे0डी0/लखनऊ-13(गा0बाद)

245

दिनांक: जुलई

2013.

सेवा में,

नगर नियोजक,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय

मैसर्स अग्रवाल एंजोसियेट प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-6, ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित भूप हाउसिंग भवन " आदित्य वर्ल्ड सिटी" के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा के लिए प्रोजेक्शनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

नहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवश्यक भवन के निर्माण हेतु प्रोजेक्शनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से करवाया गया तथा उनकी आख्या दिनांक 08-07-2013 का सुसंगत गानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं उपनिदेशक फा0स0 नेर0 द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या अफेइस्तादरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत गानकों के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-
भवन की संरचना:- कुल प्लॉट एरिया-53,058.620 वर्ग मी0 है, भूतल कवर्ड एरिया-9822.251 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम ब्लाक/टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	स्टेयर की संख्या व चौड़ाई	लैण्डिंग की संख्या
1	टावर-ए0	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	1214.027	1024.994	2-1.55	59.45
2	टावर-बी0	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	658.423	655.813	2-1.50	59.45
3	टावर-सी	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	658.423	655.813	2-1.50	59.45
4	टावर-डी0	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	658.423	655.813	2-1.50	59.45
5	टावर-ई0	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	658.423	655.813	2-1.50	59.45
6	टावर-एफ	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	627.111	623.519	2-1.50	59.45
7	टावर-जी	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	627.111	623.519	2-1.50	59.45
8	टावर-एच	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	347.200	334.773	2-1.55	59.45
9	टावर-जे	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	640.730	637.139	2-1.50	59.45
10	टावर-के	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	627.111	623.519	2-1.50	59.45
11	टावर-एल	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	627.111	623.519	2-1.50	59.45
12	टावर-एम	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	651.595	634.640	2-1.50	59.45
13	टावर-एन	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	630.078	626.486	2-1.50	59.45
14	टावर-ओ	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	347.200	334.773	2-1.55	59.45
15	शाफ्ट एण्ड 01 बी0आर0 यूनिट	02बैस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 04 तल	724.304	589.891	1-1.50	20.25
16	कम्यूनिटी	भूतल	358.317	-	-	-
17	गर्सी स्कूल	भूतल एवं 01 तल	394.375	394.375	1-1.50	7.50

2-बैसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन में डबल बैसमेन्ट प्रस्तावित है जोअर एवं ऊपर बैसमेन्ट का कवर्ड एरिया-36,678.194 वर्ग मी0 पर्यवेक्षित।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग अत्यासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 अत्यासीय ग्रेनी 20-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

वांछागत व्यवस्था:-

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस मुख्यालय

उ प्र०, लखनऊ

1- पहुंच मार्ग:- मुख्यद्वार के सामने मंचचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मीटर मानकों के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमनों के मानकों के अनुसार है।

2- प्रवेश द्वार-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई-10.58 मीटर है।

3- सैंटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैंटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मीटर।

बी0-पृष्ठ भाग-15.00 मीटर।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-15.00 मीटर।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-15.00 मीटर प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का रूखाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का नोटरेबुल हाई र एफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में स्टेयर उपरोक्त तालिका के अनुसार है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना बाध्यकारी है।

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु न्यूनतम 2,00,000 दो लाख हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

2-पम्परा:- भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम क्षमता के 02 अद्वय मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अद्वय डीजल चलित पम्प तथा 01 अद्वय जॉकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने बाध्यकारी है।

3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन/ब्लॉक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000, हजार लीटर, एवं ट्यूलिप टावर में 25,000 हजार लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

4-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत शक्ति एवं स्कूल की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 300 एलपीएम का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

5-होजरील मय खालकामश:- प्रस्तावित भवन के ब्लॉक/टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, गैर होज बक्स, होज माइन, एवं ग्रान्य पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

6-वेटसाइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एनएम का वेटसाइजर का प्राविधान तथा उस पर गार्ड हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

7-ऑटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम:- 45 मीटर से ऊँचे टावरों में सम्पूर्ण तलों व दोनों बेसमेंट एरिया में ऑटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

8-मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- समस्त भवन में मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्स्टिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्स्टिंग्यूशर आईएस0- 2190 के बाध्यकारी है।

10-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

11-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त तलों पर एग्जिट साईनेज की स्थापना मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

12-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार बाध्यकारी है।

13-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यावसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर ऑफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रसार सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना बाध्यकारी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रख जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुश्रवण व सार्वधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार बाध्यकारी होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स अग्रवाल एंशोरियेट प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लॉट नं0 जी0एच0-6, ग्राम शाहपुर बम्बेट जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन " आदित्य वर्ल्ड सिटी " के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि अलेक्जेंडर द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस मुख्यालय

पं० प्र०, लखनऊ

इण्डिया-2005 ने उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा
अवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया
जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त सम्झा जायेगा।
संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र 2 है।


मुख्य निदेशक
आयुक्त निदेशक, जिला मुख्यालय
राँची, ज. झारखण्ड
उ.प्र., लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक कार्पर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोरागली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

✓ 4- मैसर्स अग्रवाल एशोसियेट प्रमोटर्स लि० द्वारा प्लॉट न० जी०एच०-६, ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद को अनुमतिार्थ।